## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

## आपराधिक प्रक0क्र0 400 / 10

संस्थित दिनाँक-19.07.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

### विरूद्ध

- 1. मोहरसिंह पुत्र मुन्नालाल उम्र 26 साल
- 2. 🙋 मुन्नालाल पुत्र बलवंतसिंह जाटव उम्र 55 साल
- 3. शंकर उर्फ सुरेन्द्र पुत्र मुन्नालाल जाटव उम्र 31 साल
- 4. रवी उर्फ रविन्द्र पुत्र मुन्नालाल जाटव उम्र 28 साल निवासीगण नया घनश्यामपुरा थाना गोहद .......अभियुक्तगण

# \_\_: निर्णय ::— {आज दिनांक 07.12.16 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.07.10 को 10 बजे नया घनश्यामपुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में महेश को घातक हथियार फरसा से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 294, 323 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.07.10 को रात 11 बजे नया घनश्यामपुरा में फरियादी महेश अपने दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठा था साथ में उसका भाई सुरेश भी था। रात को अभियुक्तगण निकले और बोले कि रास्ते में चारपाई क्यों बिछाई है और इसी बात पर गाली गलौंच करने लगे। रिव ने एक फरसा मारा जो महेश को लगा, मोहरसिंह ने लातघूंसों से मारपीट की। मुन्नालाल ने सुरेश को सिर में फरसा मारा जिससे खून निकल आया। रामप्रकाश तथा भानू ने बीच बचाव किया। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक क0 176/10 लेख की गयी, आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहतगण को धारदार वस्तु से चोट कारित होने के कारण अप0क0—143/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया,

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
  - 1.क्या दिनांक 03.07.10 को 10 बजे आहत महेश को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति ?
  - 2.क्या उक्त दिनांक, समय व नया घनश्यामपुरा गोहद में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत महेश को धारदार हथियार फरसा से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

#### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामप्रकाश अ०सा० 1, महेश अ०सा० 2, सुरेश अ०सा० 3, भानू अ०सा० 4, डा० आलोक शर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी महेश अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 16.06.16 के लगभग 6 वर्ष पूर्व की रात्रि 11–11:15 बजे की है। वे अपने घर पर चारपाई पर बैठे थे तभी आरोपीगण वहां से निकले और बोले कि चारपाई पर क्यों बैठे हो जब फरियादी ने कहािक वह रास्ते पर नहीं बैठा है तो आरोपीगण से मुंहवाद हो गया और आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट कर दी। इसी घटना की रिपोर्ट प्र0पी० 1 लिखाए जाने जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। पुलिस द्वारा नक्शामीका प्र0पी० 5 बनाए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। सुरेश अ०सा० 3 जो कि प्रकरण में आहत हैं, वे अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी महेश के समान ही कथन करते हैं और अभियुक्तगण से मुंहवाद होने और लातघूंसों से मारपीट करने का कथन करते हैं। दोनों साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के किसी भी हथियार से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त दोनों साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किए जाने से पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। दोनों साक्षी सूचक प्रश्नों में इस सुझाव से इंकार करते हैं कि अभियुक्तगण में अभियुक्त रिव द्वारा

महेश को और मुन्नालाल द्वारा सुरेश को फरसे से चोट पहुंचाई थी। इस प्रकार से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

- प्रकरण में प्राथमिकी लेखक रामप्रकाश अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 03.07.10 को थाना गोहद में प्र0आर0 लेखक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी महेश ने अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली गलोंच करने और मारपीट करने की रिपोर्ट लिखाई थी जिसे उन्होंने उसके बताए अनुसार लेख किया, रिपोर्ट प्र0पी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् आहतगण की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में धारदार वस्तु से उपहति कारित होने के आधार पर प्राथमिकी अप०क0-143/10 पर लेखबद्ध किए जाने जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी द्वारा उसके प्राथमिकी प्र0पी0 2 लेख किए जाने का आधार चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में तथ्य का आधार लिया है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट चिकित्सक डा० आलोक शर्मा अ०सा० 5 द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किए जाने पर आहत महेश को धारदार वस्तु से सिर में पीछे की तरफ एक चोट कारित होने के संबंध में अभिमत दिया है। चिकित्सक की साक्ष्य का आधार उसके आहत को सिर में पाई गयी चोट के संबंध में अनुभव के आधार पर है न कि घटना के साक्षी के रूप में। वह घटना में चोट का कारण बताने में समर्थ है। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट जमीन पर गिरने से आना संभव है। ऐसे में चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य जो कि अनुभव के आधार मात्र पर है, वह स्वयं आहतगण की साक्ष्य पर अधिभावी नहीं हो सकती।
- 9. प्रकरण में फरियादी महेश अ०सा० 2 द्वारा रिपोर्ट प्र०पी० 1 के विनिर्दिष्ट बी से बी भाग का तथ्य लेख कराए जाने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त दोनों साक्षियों द्वारा पुलिस कथन प्र०पी० 6 व 7 के विनिर्दिष्ट भाग लिखाए जाने से इंकार किया है। घटना का साक्षी भानू अ०सा० 1 जो प्र०पी० 1 में चक्षुदर्शी बताया गया है वह अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं करता है। साक्षी रामप्रकाश को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यह सुस्थापित विधि है कि रिपोर्ट तथा पूर्ववर्ती कथन सारवान साक्ष्य नहीं हैं। न्यायदृष्टान्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नही आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

- 10. संहिता की धारा 324 के अधीन उपहित अभियुक्त या अभियुक्तगण द्वारा किसी असन, भेदन, या काटने वाले उपकरण जिसे आकामक आयुध के तौर पर प्रयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ या विष या संक्षारणीय पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या ऐसे पदार्थ जिसका श्वांस में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक हो अथवा किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहित कारित की जाती है तो ही उक्त आरोप प्रमाणित हो सकता है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में अवश्य कथन किया गया है किन्तु उक्त मारपीट उपरोक्त में से किसी रीति से की गयी हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उन्हें उक्त आरोप धारा 324/34 भादिव से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
- 12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WIND SUNT PRICIO

सही / — ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश